শিশু ভিক্ষাবৃত্তি ও শিশুশ্রম প্রতিরোধে একটি আবেদন

- কোনও শিশুকে দিয়ে ভিক্ষা করানো ও কোনওরকম কাজ করিয়ে অর্থ উপার্জন করানো একটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যে বা যারা এই অপরাধের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত হবেন তাদের ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও ২ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে।
- মা বাবা বা অভিভাবকরা যদি তাদের সন্তান বা পরিবারের শিশুকে দিয়ে কাজ করিয়ে অর্থ উপার্জন করেন, তার শাস্তি ১০ হাজার টাকা জরিমানা।
- নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও সুস্থ ভাবে বড় হওয়া প্রত্যেকটি শিশুর অধিকার। এই অধিকার থেকে কোনও শিশুকে বঞ্চিত করা যাবে না। মা বাবা বা অভিভাবকরাও তা করতে পারবেন না।
- কোনও শিশুশ্রমিক বা শিশু ভিক্ষুক চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিন।
- আপনি কোনও শিশুকে দিয়ে বাড়িতে বা অন্যত্র কাজ করাবেন না। এটা অপরাধ।
- কোনও শিশুকে ভিক্ষা দেবেন না। আপনার ভিক্ষা দেওয়ার অভ্যেস পরোক্ষে শিশু ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়।
- মাদক ব্যবহার ও পাচার, দুই-ই দণ্ডনীয় অপরাধ। কোনও শিশু মাদক নিচ্ছে বুঝতে পারলে স্থানীয় থানায় খবর দিন।
- কেউ যদি কাজ বা অর্থের লোভ দেখিয়ে আপনার পরিবারের শিশুটিকে রাজ্যের বাইরে বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবেন না।
- এই প্রত্যেকটি অপরাধের ক্ষেত্রে বা যে কোনও ক্ষেত্রে শিশু অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বুঝতে পারলেই যোগাযোগ করুন নিম্নলিখিত টোল-ফ্রি নম্বরগুলিতে।

পুলিশ: ১০০

চাইল্ড লাইন: ১০৯৮

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ (হোয়াটসঅ্যাপ): ৯৮৩৬৩০০৩০০

পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দপ্তর: ১৮০০১০৩০০০৯

बाल भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम प्रतिरोध के लिए एक आवेदन

- कोई भी बच्चे से भीख मगंवाना अथवा किसी भी काम करवाकर पैसे कमाना कानूनन दण्डनीय अपराध है। जो कोई भी इस अपराध में किसी तरह से भी शामिल होते हैं तो उन्हें ५० हजार रूपए जुरमाना और दो वर्षतक के लिए कारावास हो सकता है।
- माता–पिता या अभिभावक अगर अपने बच्चे या परिवार के बच्चे द्वारा काम करवाकर पैसे कमाते हो तो इसका जुर्माना दस हजार रुपए है।
- नियमित रुप से स्कूल जाना, पौष्टिक आहार खाना और स्वस्थ रुप से बड़े होने का अधिकार प्रत्येक बच्चे को है। इन अधिकारों से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता। माता–पिता एवं अभिभावक भी ऐसा नहीं कर सकते।
- कोई भी बाल श्रमिक/मजदूर या बाल भिखारी दिखे तो तुरन्त सूचना दें।
- कोई भी शिशु से घर या बाहर काम करवाना अपराध है।
- कोई भी बच्चे को भिक्षा न दें। आपके भीख देने का अभ्यास परोक्ष रुप से भिक्षावृत्ति को बढ़ावा / प्रेरित करता हैं।
- नशीली दवाओं का इस्तमाल व तस्करी, दोनों दण्डनीय अपराध है। कोई बच्चा अगर नशीली दवा/ ड्रग्स ले रहा हो तो तुरन्त स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचना दें।
- यदि कोई, काम या पैसे का लोभ दिखाकर आपको परिवार के बच्चे को राज्य से बाहर अर्थात कही और ले जाने का प्रस्ताव दे, तो ऐसे प्रस्ताव को कभी ग्रहण न करना।
- ऊप लिखे गए अपराधों के कारण या किसी भी बाल–अधिकारों का क्षेत्र लघिंत होता देखें तो तुरन्त नीचे लिखे गए ट्रोल नंबर में संर्पक करें।

पुलिस: १००

चाइल्ड लाइन: १०९८

पश्चिम बंगाल बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (वहाट्सएप हेल्पलाइन) ९८३६ ३०० ३००

पश्चिमबंगाल श्रम विभाग : १८००१०३०००९